



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062021-227488
CG-DL-E-11062021-227488

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3 sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2041]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943

No. 2041]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISTHA 19, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 2201(अ)—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1344(अ) दिनांक 25.03.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के दौसा जिले में NH148N के कि.मी. 149 से कि.मी.170.8 (उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बांदीकुई) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का.आ. 1344 (अ) दिनांक 25.03.2021का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 04.04.2021 को "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक नवज्योति" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के

अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के दौसा जिले में NH148N के कि.मी. 149 से कि.मी.170.8 (उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बांदीकुई) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: दौसा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बसवा				
	गांव का नाम: सोमाडा				
1	596	निजी	चाही (ए)	0.126	1. लीलाराम पुत्र श्रीकृष्ण हिस्सा- 1/24 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 2. कमल सिंह पुत्र श्रीकृष्ण हिस्सा- 1/24 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 3. धापा देवी पत्नि स्व. श्रीकृष्ण हिस्सा- 1/24 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 4. नाथू पुत्र बंशी हिस्सा- 1/2 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार 5. रामजीलाल पुत्र गंगल्या हिस्सा- 1/6 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा बांदीकुई जांगीर 6. श्रीनारायण पुत्र गंगल्या हिस्सा- 1/6 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/6 (खसरा सं- 596, 597 बिना रहन) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा बांदीकुई जांगीर 7. सुमेर देवी पुत्री श्रीकृष्ण हिस्सा- 1/24 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार, ()
	गांव का नाम: ऊनबडागाँव				
2	2367/1140	निजी	चाही-1	0.02	1. केश्या पुत्र नारायण हिस्सा- 1/8 जाति- माली सा. देह खातेदार 2. गौरां पत्नि नारायण हिस्सा- 1/8 जाति- माली सा. देह खातेदार 3. छोटया पुत्र मंगला हिस्सा- 1/4 जाति- माली सा. देह खातेदार 4. पून्या पुत्र बुद्धा हिस्सा- 1/2 जाति- माली सा. देह खातेदार, ()

3	2368/1140	निजी	चाही-1	0.3	पून्या पुत्र बुद्धा हिस्सा- पूर्ण जाति- माली सा. देह खातेदार, ()
			कुल	0.446	

[फा.सं. NHAI/PIU-SWM/BM/DVE-RAJ/2018/LA/3D]

राजेश गुप्ता , निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, 9th June 2021

S.O 2201(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O 1344 (E) dated 25.03.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH148N on the stretch of land from Km. 149 to Km. 170.8 (SDO Office Bandikui) in the district of DAUSA in the state of RAJASTHAN

And whereas the substance of the said notification S.O 1344(E) dated 25.03.2021 has been published in “Rajasthan Patrika” and “Dainik Navjyoti” both dated 04.04.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH148N in the stretch of land from Km. 149 to Km. 170.8 (SDO Office Bandikui) in the district of DAUSA in the State of RAJASTHAN

State: RAJASTHAN			District: DAUSA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Baswa				
	Village: Somara				
1	596	Private	Chahi-A	0.126	1. Lila Ram S/o Shri Krishan Share-1/24 Jaati Gujjar Sah de khatedaar, 2. Kamal Singh S/o Shri Krishan Share-1/24 Jaati Gujjar Sah De

					Khatedar,3. Dapa Devi W/o LT. Sh. Krishan Share 1/24 Jaati Gujjar Sah De Khatedar,4.Nathu S/o Banshi Share-1/2 Jaati Gujjar Sah de khatedaar,5. Ram Ji Lal S/o Gangalya Share-1/6 Jaati Gujjar Sah de khatedaar Rahin Share-1/6 (Puran Khata) Rajasthan Marudra Gramin Bank Branch Bandikui Jangir,6. Shri Narayan S/o Gangalya share-1/6 Jaati Gujjar Sah De Khatedar Rahin Hissa -1/6 (khasra number-596,597 bina rehen) rajasthan Marudra Gramin Bank Branch Bandikui Jangir,7. Sumar Devi D/o Shri Krishan share-1/24 Jaati Gujjar Sah De Khatedar
	Village: Un Baragaon				
2	2367/1140	Private	Chahi-1	0.02	Keshya S/o Narayana Hissa - 1/8 Jaati - Mali Sah De Khatedar 2.Gauran wife Narayan Hissa - 1/8 Jaati - Mali Sah De Khatedar ,3.Chhotaya S/o Mangala Hissa - 1/4 Jaati - Mali Sah De Khatedar,4.Punya S/o Buddha Hissa - 1/2 Jaati - Mali Sah De Khatedar,
3	2368/1140	Private	Chahi-1	0.3	Punya S/o Buddha Hissa Jaati Mali Sah De Khetedar.
			TOTAL	0.446	

[F. No. NHAI/PIU-SWM/BM/DVE-RAJ/2018/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Director